

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 981/225/आरशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/5/2018

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आबंटित राशि	सेगमेंट कोड	रिमार्क
1	शा.महावि.हरई जिला छिन्दवाड़ा	1051/10.2.18 एवं 17/7.4.18	37000	0102	गतवर्ष के लंबित भुगतान हेतु
2	शा. कन्या महावि.गुना	79/4.5.18	50000	0101	
3	शा.महावि.सांवेर जिला इंदौर	83/	30527	0103	
	कुल योग		117527		

- (2) उपरोक्त राशि का आबंटन उपलब्ध बजट के अनुसार अनुपातिक रूप से किया गया है।
(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा :-

सेगमेंट	बजट शीर्ष
0101	44-2202-03-103-0101-6990-43-000
0102	44-2202-03-103-0102-6990-43-000
0103	44-2202-03-103-0103-6990-43-000

- (5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
(6) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जावे।
(7) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।
(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

- (9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0- 982 / 225 / बजट / 2018
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 16/5/2018

1. विशेष सहायक मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना मंत्रालय भोपाल
5. समस्त संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश